न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 13/2022

GCMS Case No. : 2022/72

प्रार्थीया –	बनाम	अप्रार्थीगण –
राजुराम पुत्र लक्ष्मणराम, जाति कुम्हार निवासी पांचवाखुर्द, तहसील सोजत जिला पाली		1. भुण्डाराम पुत्र नारायणराम, जाति राईका निवासी पांचवाखुर्द तहसील सोजत 2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत।

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 27/03/2026

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत भू. आवंटन कमेटी, सोजत द्वारा आदेश दिनांक 13.06.1986 के द्वारा अप्रार्थी भुण्डाराम के नाम ग्राम पांचवाखुर्द के खसरा संख्या 273 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत् पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस आसालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ग्राम पांचवाखुर्द का रहवासी है तथा उक्त ग्राम में खसरा संख्या 273 रकबा 1.45 हैक्टैयर में से 0.1600 हैक्टैयर का भू. आंवटन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में वर्ष 1986 अर्थात् दिनांक 13.06.1986 को किया गया क्योंकि पाली जिला मरूस्थलीय क्षेत्र है तथा ऐसी सूरत में एक हैक्टेयर से कम भूमि का विखण्डन नहीं किया जा सकता। आवंटन में यह दर्शाया गया है कि उक्त आवंटन छोटीं पट्टी के तौर पर किया गया है जबकि नियमों में छोटी भू पट्टी उसी को दी जा सकती है, जो मूल खातेदार से चिपती हुई भूमि हो जबकि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि के उक्त भूमि चिपती हुई नहीं है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी अथवा उसके वारिसानों का कभी भी कब्जा नहीं होकर प्रार्थी का कब्जा था तथा उसका उपयोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा था। जैर आराजी पर आवंटन के पश्चात् आदिनांक तक अप्रार्थी का कब्जा नहीं रहा। अप्रार्थी के पास पूर्व से कृषि भूमि थी जिसके खसरा संख्या 450, 58/19, 159, 145/550, 158 तथा उसकी पत्नी के नाम खसरा संख्या

अति. जिला कलेक्टर, पाली

273/9 व उसकी माता के नाम खसरा संख्या 246/101 आये हुये है लेकिन अप्रार्थी ने अपने आवेदन में केवल खसरा संख्या 137 व 483 ही प्रकट किये है। अप्रार्थी अपने पिता का इकलौता पुत्र है इसलिये नोशनल शेयर के अनुसार भी उसके पक्ष में प्राप्त भूमि नियमों से ज्यादा थी। आवंटन समिति के सदस्य भी कम से कम तीन होने चाहिये जो कि नहीं है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाते हुये जैर आवंटन आदेश को निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि भू. आवंटन कमेटी ने विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर आवंटन ओदश खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जैर प्रार्थना–पत्र भू. आवंटन कमेटी, सोजत द्वारा आदेश दिनांक 13.06.1986 के द्वारा अप्रार्थी भुण्डाराम के नाम ग्राम पांचवाखुर्द के खसरा संख्या 273 रकबा 0.1600 हैक्टेयर भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत् पेश किया है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन कृषक नहीं है तथा उसने प्रश्नगत आवंटन प्राप्त करने हेतु वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये आवेदन प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह पाते है कि ग्राम पांचवाखुर्द की जमाबन्दी में खसरा संख्या 450 रकबा 1.7900 हेक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, खसरा संख्या 158 रकबा 0.1300, 546/101 रकबा 0.8000 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 की माता पूर्ण हिस्सा, खसरा संख्या 58/19 रकबा 0.8400, खसरा संख्या 159 रकबा 0.6200 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 का पूर्ण हिस्सा, खसरा संख्या 137, 145/550, 483 रकबा क्रमशः 0.6600, 0.3800, 1.2300 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा खसरा संख्या 273/9 रकबा 1.2000 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी का पूर्ण हिस्सा है। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपने परिवार की काबिल काश्त भूमि केवल खसरा संख्या 137 एवं खसरा संख्या 483 का ही उल्लेख किया गया, जबकि अन्य उपलब्ध कृषि भूमि का कोई उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं किया गया। आवेदन पत्र में उपलब्ध समस्त भूमि का उल्लेख न करना यह दर्शाता है कि अप्रार्थी जानबूझकर तथ्यों को छुपाते हुये स्वयं को भूमिहीन कृषक के रूप में प्रस्तुत किया। यह कृत्य न केवल नियमों की भावना के विपरीत है बल्कि भौतिक तथ्यों के दमन की श्रेणी में आता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन जैसी कार्रवाही पूर्णतः सत्य एवं पारदर्शी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। जब स्वयं आवंटी द्वारा तथ्य छुपाकर लाभ प्राप्त किया गया हो, तो ऐसे आधार पर पारित आदेश विधि की दृष्टि में उचित नहीं माने जा सकते।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार किसी खातेदार काश्तकार के खेत के साथ लगता हुआ भूमि का छोटा टुकडा अथवा खण्ड, ऐसे काश्तकार द्वारा आवेदन किये जाने पर उप–खण्ड अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के परामर्श से खातेदारी आधार पर उसे आवंटित किया जा सकेगा और प्रपत्र 5–क में आवटंन के आदेश की एक प्रतिलिपि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

5 रूपये की फीस वसूल करके आवंटी को दी जा सकेगी। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्वयं तथा परिवार की काबिल काश्त की भूमि खसरा संख्या 137 एवं 483 बताया है। भू. आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी को छोटी भू–पट्टी के रूप में प्रश्नगत भूमि आंवटित की गई है। प्रकरण में राजस्व अभिलेखों के परीक्षण से यह तथ्य सुस्पष्ट है कि खसरा संख्या 273, अप्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित खसरा संख्या 137 अथवा 483 में से किसी के भी साथ सीमा साझा नहीं करता हैं, इसके विपरीत, खसरा संख्या 273 की सीमाएं अन्य खातेदारों की भूमि से लगी हुई पाई गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवंटी नियम 19 के अन्तर्गत भू–पट्टी आवंटन हेतु पात्र नहीं था। नियम 19 के अन्तर्गत यह एक अनिवार्य एवं मूलभूत शर्त है कि जिस खसरे की भू–पट्टी का आवंटन किया जाना है, वह आवेदक की खातेदारी भूमि से लगी हुई हो। उक्त शर्त के अभाव में किया गया कोई भी आवंटन विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। हस्तगत प्रकरण में आवंटन कमेटी द्वारा जो कार्रवाई की गयी है, वह समर्थन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी का आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया जैर आवंटन आदेश विधि विरूद्ध होने से यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है तथा भू. आवंटन कमेटी, सोजत द्वारा आदेश दिनांक 13.06.1986 के द्वारा अप्रार्थी भुण्डाराम के पक्ष में ग्राम पांचवाखुर्द के खसरा संख्या 273 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सोजत प्रश्नगत आराजी का कब्जा बहक राज प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर पालना प्रस्तुत करें। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली